

प्रेमक,

अरिन्दम भट्टाचार्य,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

✓ सेवा में,

कुलसचिव
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक \ \ अगस्त, 2015

विषय:- किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के समस्त शिक्षकों के वेतन एवं भत्ते एस0जी0पी0जी0आई0 के समान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में अपने पत्रांक- 17709/बी-14, दिनांक 04.09.2014, पत्रांक-117, दिनांक 06.04.2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा चिकित्सा विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षकों की वेतन विसंगतियों को दूर करते हुए उनके वेतन एवं भत्ते एस0जी0पी0जी0आई0 के समान किये जाने के सम्बन्ध में आख्या प्रेषित की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चिकित्सा विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षकों की वेतन विसंगतियों को दूर करते हुए उनके वेतन एवं भत्ते एस0जी0पी0जी0आई0 के समान किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के शैक्षिक पदों को एस0जी0पी0जी0आई0 की भांति तात्कालिक प्रभाव अर्थात् इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से पुनर्गठित करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित वेतन बैण्ड/ न्यूनतम वेतन एवं एकेडेमिक ग्रेड पे स्वीकृत किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0सं0	पदनाम	वेतन बैण्ड/ वेतन एवं एकेडेमिक ग्रेड पे
1	2	3
1	प्रोफेसर	वेतन बैण्ड-4 रु. 37400-67000 (न्यूनतम वेतन रु. 51600/-) और एकेडेमिक ग्रेड पे रु. 10,500/- उक्त पद पर चयन निर्धारित चयन प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा। प्रोफेसर जूनियर ग्रेड (एडिशनल प्रोफेसर) के पद पर चार वर्ष की सेवा करने वाले इस पद हेतु अर्ह होंगे।
2	प्रोफेसर जूनियर ग्रेड (एडिशनल प्रोफेसर)	वेतन बैण्ड-4 रु. 37400-67000 (न्यूनतम वेतन रु. 46000/-) और एकेडेमिक ग्रेड पे रु. 9500/- उक्त पद पर चयन निर्धारित चयन प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा। एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर तीन वर्ष की सेवा करने वाले इस पद हेतु अर्ह होंगे।
3	एसोसिएट प्रोफेसर	वेतन बैण्ड-4 रु. 37400-67000 (न्यूनतम वेतन रु. 42800/-) और एकेडेमिक ग्रेड पे रु. 9000/-

		उक्त पद पर चयन निर्धारित चयन प्रक्रिया के अनुसार आयेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तीन वर्ष की सेवा वाले इस पद हेतु अर्ह होंगे।
I-	असिस्टेंट प्रोफेसर	वेतन बैंड-3 रु. 15600-39100 (न्यूनतम वेतन रु. 30000/-) और एकेडेमिक ग्रेड पे रु. 8000/- असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तीन वर्ष की सेवा के पश्चात् वेतन बैंड-4 रु. 37400-67000 और एकेडेमिक ग्रेड पे रु. 8700/-

असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर नियुक्ति हेतु अर्हता का निर्धारण भारत सरकार के शासनादेश संख्या-V- 16020 /57/2008-ME-1, दिनांक 12 जनवरी, 2010 के अनुसार किया जायेगा। इसके अतिरिक्त संकाय सदस्यों को प्रदान की जाने वाली गान प्रैक्टिस भत्ता, अधिकतम वेतन तथा अन्य सेवा-वर्त/ प्रकिया आदि का निर्धारण भी भारत सरकार के उक्त शासनादेश दिनांक 12 जनवरी, 2010 के अनुसार ही किया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि वर्तमान ढांचे के अनुसार किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में कार्यरत पदधारकों का पुनर्गठित ढांचे में समायोजन की व्यवस्था निम्नवत् होगी:


- I. प्रवक्ता/ लेक्चरर पद पर 03 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले पदधारकों को पुनर्गठित ढांचे के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर का पदनाम तथा वेतन बैंड एवं एकेडेमिक ग्रेड वेतन अनुमन्य करा दिया जायेगा। प्रवक्ता/ लेक्चरर के पदधारक की असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर वैयक्तिक पौन्यति के पश्चात् प्रवक्ता/ लेक्चरर का सम्बन्धित पद स्वतः समाप्त माना जायेगा। भविष्य में प्रवक्ता/ लेक्चरर के रूप में नियुक्ति नहीं की जायेगी।
- II. वर्तमान ढांचे में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत पदधारकों को पुनर्गठित ढांचे के असिस्टेंट प्रोफेसर के पद हेतु निर्धारित वेतन बैंड एवं एकेडेमिक ग्रेड वेतन अनुमन्य करा दिया जायेगा।
- III. वर्तमान ढांचे में असिस्टेंट प्रोफेसर के ऐसे पदधारक जिनके द्वारा इस रूप में 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, उन्हें पुनर्गठित ढांचे में एसोसियेट प्रोफेसर का पद एवं वेतन बैंड एवं एकेडेमिक ग्रेड वेतन अनुमन्य करा दिया जायेगा।
- IV. वर्तमान ढांचे में एसोसियेट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत पदधारकों को पुनर्गठित ढांचे के एसोसियेट प्रोफेसर के पद हेतु निर्धारित वेतन बैंड एवं एकेडेमिक ग्रेड वेतन अनुमन्य करा दिया जायेगा।
- V. वर्तमान ढांचे में एसोसियेट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत पदधारकों द्वारा इस रूप में 03 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर पुनर्गठित ढांचे के अनुसार प्रोफेसर जूनियर ग्रेड (एडीशनल प्रोफेसर) का पदनाम तथा वेतन बैंड एवं एकेडेमिक ग्रेड वेतन अनुमन्य करा दिया जायेगा।
- VI. वर्तमान ढांचे में एसोसियेट प्रोफेसर के इस रूप में 07 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले पदधारकों को पुनर्गठित ढांचे के अनुसार प्रोफेसर का पदनाम तथा वेतन बैंड एवं एकेडेमिक ग्रेड वेतन अनुमन्य करा दिया जायेगा।

4- अक्तानुसार पुनर्गठित ढांचे के अनुसार अनुमन्य होने वाले वेतन बैंड/ वेतन और एकेडेमिक ग्रेड वेतन पे सम्बन्धित कार्मिकों का वेतन निर्धारण शासनादेश संख्या- वे0आ0-2 -577/ दस-59(एम)/2008 टीसी, दिनांक 29 जून, 2010 सपठित शासनादेश संख्या- वे0आ0-2-841/दस-2009-59(एम)/2009, दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 की व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

5- किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ की किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ पथम परिनिधमावली, 2011 में उपर्युक्तानुसार संशोधन पृथक से कर लिया जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-वे0आ0-1-679/दस-2015, दिनांक 05 अगस्त, 2015 में प्राप्त उनकी सहगति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,



(अरिन्दम भट्टाचार्य)

विशेष सचिव।

संख्या (1)/71-2-15-तददिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
6. वित्त ई-3/ वित्त (आय-व्ययक) अनु. 2
7. वित्त (वेतन आयोग)-1/2
7. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
8. सहायक निजी सचिव, कुलपति, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय कुमार उपाध्याय)

संयुक्त सचिव।